अनुदान मांग 2025-26 का विश्लेषण

रक्षा

रक्षा मंत्रालय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीतियां बनाता है और रक्षा सेवाओं (थलसेना, नौसेना और वायु सेना) द्वारा इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यह सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों जैसी निर्माण इकाइयों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं जैसी सहायक सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। यह नोट मंत्रालय के बजटीय आवंटन और व्यय की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। नोट में कुछ मुद्दों पर भी चर्चा की गई है जैसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रक्षा पर व्यय में कमी, अत्यधिक मात्रा में पेंशन, रक्षा उपकरणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निरंतर निर्भरता और रक्षा उपकरणों के स्वदेशी विकास में देरी।

वित्तीय स्थिति

रक्षा मंत्रालय के बजट में अनुसंधान और विकास तथा सीमा सड़कों पर व्यय के साथ-साथ तीन रक्षा सेवाओं के लिए आवंटन भी शामिल है। 2025-26 में मंत्रालय को 6,81,210 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें सशस्त्र बलों और सिविलियन कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, निर्माण प्रतिष्ठानों, रखरखाव और अनुसंधान एवं विकास संगठनों पर व्यय शामिल है। मंत्रालय का आवंटन सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है और केंद्र सरकार के कुल व्यय का 13% है।

भारत का रक्षा व्यय केंद्र के बजट और जीडीपी, दोनों के हिस्से के रूप में घट गया है

केंद्र सरकार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को आवंटित करती है। हालांकि केंद्रीय बजट में रक्षा संबंधी व्यय का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है। 2014-15 में केंद्र ने अपने कुल बजट का 17% रक्षा पर खर्च किया जबकि 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार इसमें 13% की गिरावट आई है। 2013-14 और 2025-26 के बीच रक्षा खर्च में 9% की वार्षिक वृद्धि की तुलना में केंद्र सरकार का कुल व्यय 10% की वार्षिक दर से बढ़ा।

2023 में रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने कहा था कि भारत की अधिकांश रक्षा खरीद का लेनदेन डॉलर में किया जाता है।[1] उसने सुझाव दिया था कि रक्षा सेवाओं के लिए धन आवंटित करते समय डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति दर पर विचार किया जाना चाहिए।[1] 1 जनवरी, 2024 और 27 जनवरी, 2025 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में लगभग 4% की गिरावट आई है।

रेखाचित्र 1: केंद्रीय व्यय में रक्षा व्यय का हिस्सा घटा

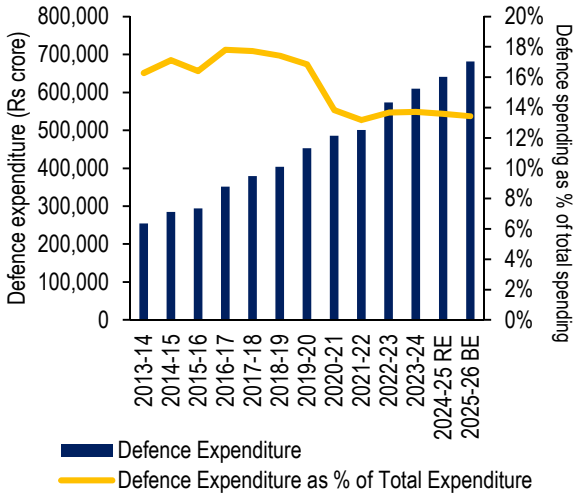

नोट: BE बजट अनुमान और RE संशोधित अनुमान हैं। स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़ (विभिन्न वर्ष); पीआरएस।

इससे पहले 2018 में स्टैंडिंग कमिटी ने सुझाव दिया था कि सशस्त्र बलों की पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को जीडीपी के लगभग 3% का एक निश्चित बजट आवंटित किया जाना चाहिए।[2] हालांकि पिछले दशक में रक्षा पर भारत का खर्च लगातार इस अनुशंसित स्तर से कम रहा है। 2025-26 में भारत द्वारा रक्षा पर अपनी जीडीपी का 1.9% खर्च करने का अनुमान है।

तुषार चक्रवर्ती
tushar@prsindia.org

4 फरवरी, 2025

रेखाचित्र 2: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय में गिरावट

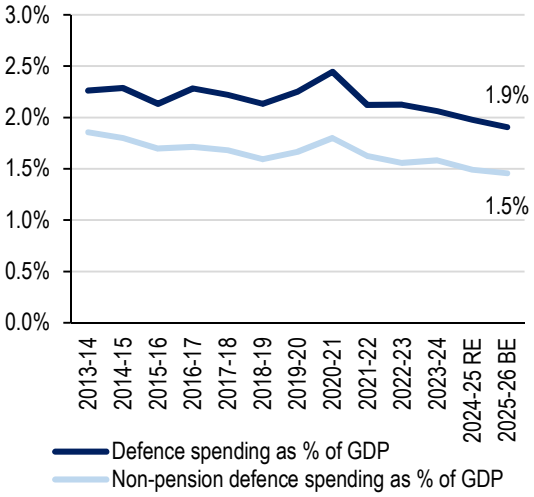

नोट: BE बजट अनुमान और RE संशोधित अनुमान हैं। स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़ (विभिन्न वर्ष); एमओएसपीआई; पीआरएस।

अगर रक्षा पेंशन पर खर्च को मंत्रालय के कुल व्यय से हटा दिया जाए, तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यय में कई वर्षों में लगभग 0.5 प्रतिशत की कमी आई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अगर भारत की जीडीपी के 3% के बराबर धनराशि रक्षा क्षेत्र हेतु आवंटित की जाती है तो इतने अधिक आवंटन का उपयोग रक्षा सेवाएं नहीं कर पाएंगी।[1] अगर भारत को 2025-26 में रक्षा बजट पर जीडीपी का 3% खर्च करना होता, तो उसे 10.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने पड़ते। यह मानते हुए कि कुल बजटीय व्यय में कोई बदलाव नहीं होगा, यह 2025-26 में केंद्र के प्रस्तावित खर्च का 21% होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) के अनुसार, भारत का सैन्य खर्च 2023 में 84 बिलियन डॉलर के साथ चौथा सबसे अधिक था।[3] इसमें अर्धसैनिक बलों पर होने वाला खर्च भी शामिल है। 2023 में शीर्ष पांच देशों में भारत का सैन्य खर्च जीडीपी के हिस्से के रूप में केवल चीन से अधिक था। हालांकि चीन की बड़ी अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि वह अपनी सेना पर कुल मिलाकर भारत की तुलना में 3.5 गुना अधिक खर्च करता है।

तालिका 1: 2023 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देश

देश	व्यय (बिलियन USD)	व्यय (जीडीपी का %)
यूएस	916	3.4%
चीन	296	1.7%
रूस	109	5.9%
भारत	84	2.4%
सऊदी अरब	76	7.1%
पाकिस्तान*	9	2.8%

नोट: भारत के सैन्य खर्च में अर्धसैनिक बलों पर खर्च शामिल है। *पाकिस्तान 2023 में सैन्य खर्च में 30वें स्थान पर था। स्रोत: एसआईपीआरआई मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस; पीआरएस।

सशस्त्र सेवाओं के लिए पूंजीगत बजट के आवंटन में सुधार हुआ

बजट निर्माण चरण के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमानों के आधार पर उन्हें धनराशि आवंटित की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में सशस्त्र बलों को राजस्व और पूंजीगत, दोनों मदों के तहत उनकी अनुमानित जरूरतों की तुलना में बजट आवंटन कम रहा है। 2015-16 और 2024-25 के बीच सशस्त्र बलों को आवंटित धनराशि, उनकी अनुमानित जरूरतों से 20% कम थी। इससे पहले, पूंजीगत बजट के लिए आवंटन, राजस्व बजट की तुलना में और भी कम रहता था। हालांकि 2023-24 और 2024-25 में सशस्त्र बलों के पूंजीगत बजट का आवंटन, उनके अनुमानों के अनुरूप रहा है।

रेखाचित्र 3: आवंटन में कमी बनाम अनुमान (करोड़ रुपए)

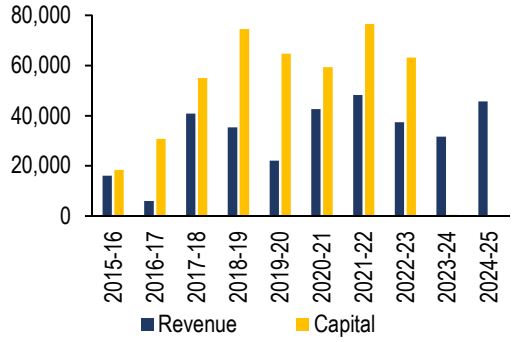

स्रोत: 20वीं और 37वीं रिपोर्ट, रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी, 17वीं लोकसभा; दूसरी रिपोर्ट, रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी, 18वीं लोकसभा; पीआरएस।

सुधारों का वर्ष 2025

रक्षा मंत्रालय ने 2025 को 'सुधार वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।[4] मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना होगा। 2025 में केंद्रित पहल के लिए चिन्हित क्षेत्रों में निम्न शामिल हैं: (i) इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड की स्थापना के लिए संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ावा देना, (ii) साइबर और अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे नए डोमेन पर ध्यान केंद्रित करना, (iii) खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और (iv) रक्षा क्षेत्र और नागरिक उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करना।[4]

रक्षा बजट की संरचना

2025-26 में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 6% अधिक है (तालिका 2 देखें)। रक्षा बजट में वेतन पर 3% और पेंशन पर 2% खर्च बढ़ने का अनुमान है। 2025-26 में रक्षा पर अनुमानित खर्च का 50% हिस्सा वेतन और पेंशन का होगा। उल्लेखनीय है कि वेतन पर व्यय का अनुमान कम हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर और अग्निपथ कैडर पर राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। पूंजीगत परिव्यय, जिसमें हथियार, एम्यूनिशंस और अन्य उपकरणों की खरीद पर खर्च शामिल है, 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2025-26 में 13% बढ़ने का अनुमान है। हालांकि 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में पूंजी परिव्यय बजट अनुमान की तुलना में 6% कम होने की उम्मीद है। अन्य खर्चों में परिवहन, राष्ट्रीय राइफल्स, अग्निपथ योजना और मंत्रालय के अन्य स्थापना व्यय शामिल हैं।

तालिका 2: रक्षा बजट आवंटन (करोड़ रुपए)

प्रमुख मद	वास्तविक 2023-24	संअ 2024-25	बअ 2025-26	2024-25 संअ से 2025-26 बअ में परिवर्तन का %
वेतन	1,72,496	1,72,760	1,77,923	3%
पूंजीगत परिव्यय	1,64,559	1,70,485	1,92,388	13%
पेंशन	1,42,093	1,57,681	1,60,795	2%
रखरखाव	87,722	86,191	90,923	5%
अन्य खर्च	42,634	53,943	59,181	10%
कुल	**6,09,504**	**6,41,060**	**6,81,210**	**6%**

नोट: वेतन में सशस्त्र बलों, सहायक बलों, सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, अनुसंधान और विकास, और मंत्रालय के वेतन व्यय के अनुमान शामिल हैं। पूंजी परिव्यय में मंत्रालय और सशस्त्र बलों का पूंजीगत व्यय शामिल है। रखरखाव में स्टोर, वर्क्स, रिपेयर और रिफिट्स पर व्यय शामिल है। स्रोत: व्यय बजट, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

रक्षा बजट का 20% से ज्यादा हिस्सा पेंशन पर खर्च

रक्षा पेंशन तीनों सेवाओं (सिविलियन कर्मचारियों सहित) के सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मियों के लिए पेंशन शुल्क प्रदान करती है। इसमें सेवा पेंशन, ग्रैच्युटी, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का परिवर्तित मूल्य और अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) का भुगतान शामिल है। 2013-14 और 2025-26 के बीच सुरक्षाकर्मियों के पेंशन में 11% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। यह कुल रक्षा व्यय में 9% की वार्षिक वृद्धि से अधिक है। नतीजतन, रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन पर खर्च किया गया है। 2025-26 में कुल रक्षा बजट का 24% पेंशन पर खर्च होने का अनुमान है।

रेखाचित्र 4: रक्षा पेंशन पर खर्च

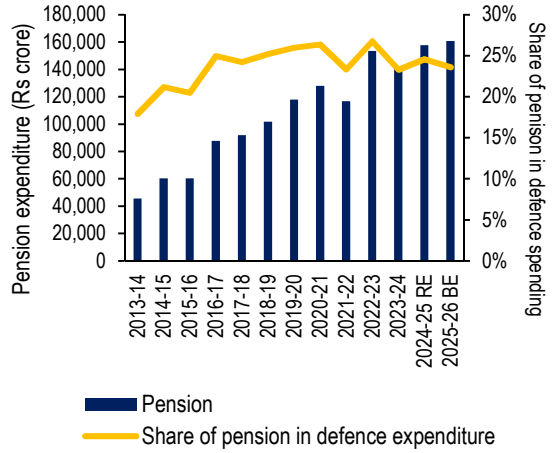

नोट: BE बजट अनुमान है और RE संशोधित अनुमान हैं। स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़ (विभिन्न वर्ष); पीआरएस।

नवंबर 2015 में सरकार ने 1 जुलाई 2014 से प्रभावी लाभों के साथ वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) लागू करने का निर्णय लिया।[5] इस संरचना के तहत, समान रैंक के सैनिक, जो समान अवधि की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें समान पेंशन मिलती है। यह सेवानिवृत्ति की तारीख और वर्ष पर ध्यान दिए बिना लागू होता है। ओआरओपी के तहत पेंशन हर पांच वर्ष में संशोधित की जाती है।[5]

15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय को वेतन और पेंशन देनदारियों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए।[6] जून 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी।[7] योजना के तहत भर्ती किए गए उम्मीदवार चार वर्ष तक सेवा करेंगे और सशस्त्र बलों के तहत उनका एक अलग रैंक होगा, जिन्हें अग्निवीरों के नाम से जाना जाएगा। जबकि इस योजना का घोषित उद्देश्य सशस्त्र बलों की युवा क्षमता को बढ़ाना है, यह लंबी अवधि में पेंशन व्यय को कम करने में भी मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अग्निवीरों के प्रत्येक बैच के केवल 25% कर्मियों को सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। शेष अग्निवीर जिन्हें नियमित कैडर में शामिल नहीं किया गया है, वे चार वर्ष बाद 11.7 लाख रुपए के सेवा निधि पैकेज के साथ सशस्त्र बल छोड़ देंगे।[7] वे पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

पूंजीगत परिव्यय रक्षा बजट के 30% से कम रहा है

रक्षा पेंशन पर अधिक खर्च के नतीजतन पूंजी परिव्यय पर व्यय में कमी हो सकती है। इस पूंजीगत परिव्यय में निर्माण कार्य, मशीनरी और टैंक, नौसैनिक जहाजों और विमानों जैसे उपकरणों पर व्यय शामिल है। इसमें अनुसंधान एवं विकास और सीमांत सड़कों के निर्माण पर पूंजीगत व्यय भी शामिल है। 2013-14 में रक्षा बजट का 32% पूंजीगत परिव्यय पर खर्च किया गया था। इस हिस्से में गिरावट आई है और 2014-15 और 2023-24 के बीच रक्षा बजट का 30% से भी कम पूंजी परिव्यय किया गया है। 2025-26 में मंत्रालय द्वारा अपने बजटीय व्यय का 28% पूंजी परिव्यय पर खर्च करने का अनुमान है।

रेखाचित्र 5: पूंजीगत परिव्यय पर व्यय

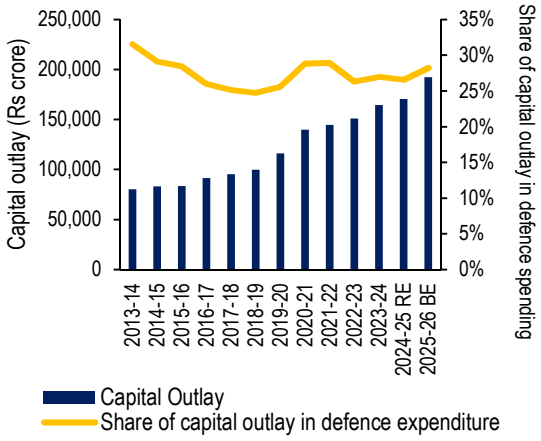

नोट: BE बजट अनुमान और RE संशोधित अनुमान हैं। स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़ (विभिन्न वर्ष); पीआरएस।

15वें वित्त आयोग को सौंपे गए एक ज्ञापन में रक्षा मंत्रालय ने अपनी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से पर्याप्त धनराशि की मांग की।[6] मंत्रालय ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बजटीय आवंटन में गिरावट आई है, और यह बड़ी रक्षा खरीद के लिए अपर्याप्त है।[6] 2021-26 के लिए मंत्रालय का योजना अनुमान 17.46 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन उसे पूंजीगत परिव्यय के लिए 9.01 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है (48% की कमी)।[6] मंत्रालय ने यह भी कहा कि लंबी अवधि में रक्षा बजट में लगातार कमी हो रही है। इससे कई किस्म की कमियां पैदा हो रही हैं और तीनों सेनाओं की पर्याप्त परिचालनगत

तैयारियां नहीं हो पा रही हैं।[6] हाल के वर्षों में पूंजी अधिग्रहण के आवंटन में सुधार हुआ है।

लंबे समय से यह सुझाव भी दिया जा रहा है कि पूंजीगत वित्तपोषण के लिए एक नॉन-लैप्सेबल फंड बनाया जाए। 2004-05 के अंतरिम बजट में ऐसे फंड की स्थापना की जरूरत के बारे में चर्चा की गई थी क्योंकि रक्षा खरीद अक्सर कई वर्षों तक चलती है।[8] बजट में 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ एक नॉन-लैप्सेबल मॉर्डनाइजेशन फंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया। 2017 में रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने कहा कि सशस्त्र बलों की परिचालनगत तैयारियों में सुधार के लिए एक नॉन-लैप्सेबल डिफेंस कैपिटल फंड एकाउंट बनाने की जरूरत है।[9] 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक मॉर्डनाइजेशन फंड के निर्माण का भी सुझाव दिया जिसकी प्रकृति नॉन-लैप्सेबल हो।[6]

केंद्र सरकार ने कहा है कि संवैधानिक प्रावधान ऐसे नॉन-लैप्सेबल फंड बनाने की अनुमति नहीं देते हैं।[10] केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि मैचिंग रेसीट्स, चाहे वह टैक्स रेसीट, सेस रेसीट या किसी दूसरी तरह की लेवी हो, के बिना सरकारी खाते में ऐसा फंड नहीं बनाया जाना चाहिए।[9] रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा एक नॉन-लैप्सेबल डिफेंस मॉर्डनाइजेशन फंड बनाने के लिए एक अलग तंत्र पर काम किया जा रहा है।[10] उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग ने डिफेंस मॉर्डनाइजेशन फंड के वित्त पोषण के लिए चार स्रोतों का सुझाव दिया था।[6] इन स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भारत की समेकित निधि से हस्तांतरण, (ii) रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की विनिवेश आय, (iii) अधिशेष रक्षा भूमि के मुद्रीकरण से प्राप्त आय, और (iv) रक्षा भूमि से प्राप्त आय को भविष्य में राज्य सरकारों और सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित किए जाने की संभावना।[6]

प्रतिबद्ध देनदारियां: उल्लेखनीय है कि सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण में दो घटक शामिल हैं: (i) प्रतिबद्ध देनदारियां और (ii) नई योजनाएं। प्रतिबद्ध देनदारियां पिछले वर्षों में किए गए अनुबंधों के संबंध में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित भुगतान हैं (क्योंकि खरीद एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें लंबी अवधि शामिल होती है)। नई योजनाओं में नई परियोजनाएं शामिल हैं जो अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं और भविष्य में जिनके लागू होने की संभावना है। 2019-20 के बाद से प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित आंकड़ों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है।

तालिका 3: प्रतिबद्ध देनदारियां और आधुनिकीकरण बजट (करोड़ रुपए)

वर्ष	प्रतिबद्ध देनदारियां	आधुनिकीकरण बजट	कमी (% में)
2016-17	73,553	62,619	15%
2017-18	91,382	68,965	25%
2018-19	1,10,044	73,883	33%
2019-20	1,13,667	80,959	29%

नोट: प्रतिबद्ध देनदारियों के आंकड़े 2019-20 के बाद से सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए गए हैं। स्रोत: तीसरी रिपोर्ट, रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय, खरीद नीति और रक्षा योजना, रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी, दिसंबर 2019; पीआरएस।

रक्षा से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2019) ने प्रतिबद्ध देनदारियों के व्यय को पूरा करने के लिए आवंटन में कमी पर चिंता व्यक्त की थी।[11] कमिटी ने कहा था कि प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अपर्याप्त आवंटन से संविदात्मक दायित्वों में चूक हो सकती है।[11] उसने कहा था कि अगर भारत भुगतान में चूक करता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसे अच्छा नहीं माना जाएगा।[11] कमिटी ने बार-बार मंत्रालय को प्रतिबद्ध देनदारियों और नई योजनाओं के लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाने का सुझाव दिया था।[12] अब तक ये फंड नहीं बनाए गए हैं। 2022 में कमिटी ने कहा था कि एक अलग फंड से यह सुनिश्चित होगा कि सशस्त्र बलों की प्रतिबद्ध खरीद के लिए भुगतान करने की समय सीमा को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।[12]

सैन्य सेवा के बजट का विश्लेषण

2025-26 में थलसेना पर राजस्व व्यय 2024-25 के संशोधित अनुमान से 5% बढ़ने का अनुमान है, जबकि वायुसेना और नौसेना के लिए इसमें 8% की वृद्धि का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि 2025-26 में सशस्त्र बलों की पेंशन पर राजस्व व्यय लगभग 8,000 करोड़ रुपए अधिक है (तालिका 4 देखें)। इसका कारण 2025-26 में पेंशन व्यय को पूरा करने के लिए जमा खाते से 8,000 करोड़ रुपए की वसूली

है। हालांकि तीनों रक्षा सेवाओं के पेंशन व्यय पर इसका अलग-अलग प्रभाव स्पष्ट नहीं है।

तालिका 4: सशस्त्र बलों के लिए बजट आवंटन (करोड़ रुपए)

प्रमुख मद	वास्तविक 2023-24	संअ 2024-25	बअ 2025-26	2024-25 संअ से 2025-26 बअ में % परिवर्तन
थलसेना का राजस्व	3,15,849	3,35,295	3,51,345	5%
नौसेना का राजस्व	45,420	48,320	52,290	8%
वायुसेना का राजस्व	66,803	65,744	71,254	8%
पूंजीगत परिव्यय	1,44,259	1,48,386	1,68,565	14%
अन्य	37,173	43,315	37,756	-13%
कुल	**6,09,504**	**6,41,060**	**6,81,210**	**6%**

नोट: थलसेना में जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री और नौसेना में तटरक्षक बल शामिल है। पूंजीगत परिव्यय में तटरक्षक बल पर होने वाला पूंजीगत व्यय शामिल है। RE संशोधित अनुमान और BE बजट अनुमान हैं। स्रोत: व्यय बजट, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

थलसेना

थलसेना बजट और सैन्यकर्मियों की संख्या, दोनों के मामले में तीनों सेनाओं में सबसे बड़ी है। जनवरी 2022 तक थलसेना के पास 13 लाख कर्मियों (अधिकारियों और सैनिकों सहित) की अधिकृत संख्या है।[13] कर्मियों की बड़ी संख्या के कारण, सेना ने लगातार अपने बजट का 80% से अधिक राजस्व मदों पर खर्च किया है।

रेखाचित्र 6: थलसेना द्वारा आधुनिकीकरण पर खर्च

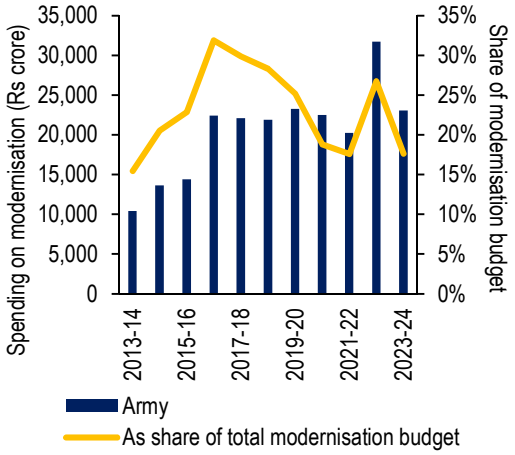

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2023) को सैन्य प्रतिनिधियों ने बताया था कि आधुनिक सशस्त्र बलों में नई जनरेशन के 30%, वर्तमान जनरेशन के 40% और पुराने जनरेशन के 30% उपकरण होने चाहिए।[14] इसके विपरीत भारतीय थलसेना के पास इस समय नई जनरेशन के 15%, मौजूदा जनरेशन के 40% और पुरानी जनरेशन के 45% उपकरण हैं।[14] कमिटी ने सुझाव दिया था कि थलसेना को बजट आवंटित करते समय, अत्याधुनिक खरीद को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसने यह सुझाव भी दिया कि दो शत्रु पड़ोसी देशों से निपटने में भारत की प्रतिरोधक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए थलसेना का पूंजीगत बजट बढ़ाया जाना चाहिए।[14]

आधुनिकीकरण में सैन्य बलों की रक्षा क्षमताओं को उन्नत करने और बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और हथियार प्रणालियों की खरीद शामिल है। मंत्रालय के अनुसार, अगले 15 वर्षों में थलसेना को शक्तिशाली युद्ध क्षमता हासिल करने के लिए 500 से अधिक स्कीम्स की योजना बनाई गई है।[15] इनमें युद्धक्षेत्र जागरूकता, कमान और नियंत्रण, और भरण-पोषण और सहयोग के लिए खरीद योजनाएं शामिल हैं।[15] सरकार सेना के लिए एम्यूनिशन के स्वदेशी निर्माण हेतु एक कार्यक्रम भी लागू कर रही है।[15] दिसंबर 2024 तक सेना के लगभग 90% एम्यूनिशन वेरिएंट्स का स्वदेशीकरण किया जा चुका है।

कपड़ों और उपकरणों का प्रावधान: सियाचिन जैसे हाई-ऑल्टिट्यूड वाले क्षेत्रों में सैनिकों को हाई-

ऑल्टिट्यूड वाले कपड़े और उपकरण प्रदान किए जाते हैं। ये उन्हें कठोर मौसम का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। कैग (2020) ने ऐसे कपड़ों और उपकरणों की खरीद में चार वर्ष तक का विलंब दर्ज किया था।[16] ऑडिट में स्नो-गॉगल्स की भारी कमी भी देखी गई थी। नवंबर 2015 से सितंबर 2016 तक सैनिकों को मल्टी-पर्पज जूते भी नहीं दिए गए थे।[16] सैनिकों को फेस मास्क, जैकेट और स्लीपिंग बैग जैसी विभिन्न वस्तुओं के पुराने वर्जन दिए गए थे।[16] रक्षा बजट के अंतर्गत, स्टोर्स पर व्यय हथियारों के रिप्लेसमेंट, राशन, ईंधन, कपड़े और अन्य जरूरतों पर खर्च को दर्शाता है। 2025-26 में केंद्र सरकार ने स्टोर्स के खर्च के लिए 28,654 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जो थलसेना के बजटीय राजस्व व्यय का 14% है।

नौसेना

भारत की समुद्री शांति और सुरक्षा के लिए दो प्रकार के खतरे हैं जिन्हें नौसेना कम करने का प्रयास करती है।[17] ये खतरे निम्नलिखित हैं: (i) चीन और पाकिस्तान जैसे पारंपरिक स्रोत और (ii) समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गैर-पारंपरिक स्रोत।[17] 2020-21 के बाद से आधुनिकीकरण पर नौसेना के खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में 65 जहाज और पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं जिन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा।[17]

नौसेना द्वारा कुछ खरीद में काफी विलंब दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट-75 के तहत, छह पनडुब्बियों को दिसंबर 2017 तक नौसेना में शामिल किया जाना था।[17] कई बार समय आगे बढ़ाने के बाद इन पनडुब्बियों को शामिल करने की समय सीमा दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई थी।[17] अंतिम पनडुब्बी जनवरी 2025 में चालू होना तय थी।[18] नौसेना के पास टोही (रिकॉनिसन्स) और परिवहन के लिए विमानों और हेलीकॉप्टरों की भी कमी है।[14] रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने सुझाव दिया था कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए नियोजित खरीद को तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए।[14]

रेखाचित्र 7: नौसेना द्वारा आधुनिकीकरण पर खर्च

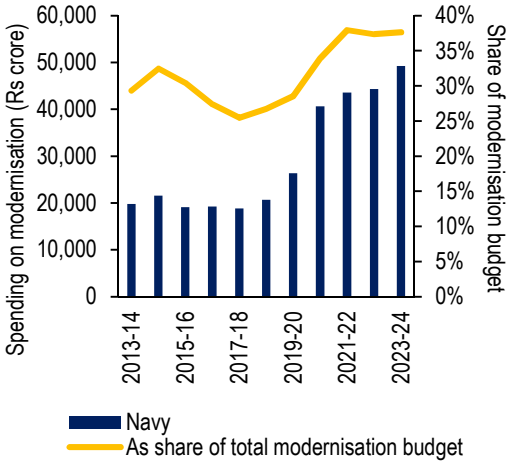

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

वायुसेना

तीनों सेनाओं द्वारा आधुनिकीकरण पर होने वाले खर्च में वायुसेना का हिस्सा लगातार सबसे बड़ा रहा है। हालांकि आधुनिकीकरण के लिए आवंटित धनराशि वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से अपर्याप्त हो सकती है।

रेखाचित्र 8: वायुसेना द्वारा आधुनिकीकरण पर खर्च

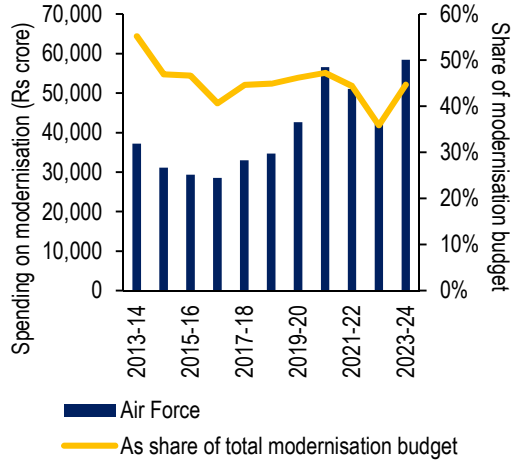

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने में देरी: 1983 में केंद्र सरकार ने आठ से 10 वर्षों में हल्के लड़ाकू विमानों (एलसीए) के डिजाइन, विकास और निर्माण को मंजूरी दी थी।[19] एलसीए को वायुसेना के पुराने और अप्रचलित मिग-21 और मिग-27 बेड़े का स्थान लेना था।[19] विभिन्न तकनीकी मुद्दों के कारण परियोजना की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई थी। एलसीए का पहला संस्करण 2016 में वायुसेना में शामिल किया गया था।[20]

वायुसेना की अधिकृत ताकत वर्तमान में 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन है।[14] अधिकृत ताकत के विपरीत, वायुसेना के पास वर्तमान में 31 सक्रिय लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं।[14] रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि वायुसेना को वर्तमान परिस्थितियों में कम से कम 180 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है।[14] मिग 21 और अन्य विमानों के पुराने बेड़े को सैन्य सेवा से हटाने के बाद लड़ाकू स्क्वाड्रन की ताकत और भी कम हो सकती है।

स्टैंडिंग कमिटी ने कहा था कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से हल्के लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में काफी देरी हुई है। कमिटी ने सुझाव दिया था कि अगर बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमानों के स्वदेशी निर्माण में देरी हो रही है, तो सरकार को पांचवीं जनरेशन के लड़ाकू विमानों की काउंटर खरीद पर विचार करना चाहिए।[14] कमिटी ने आगे कहा कि वायुसेना को प्रदान की गई पूंजीगत धनराशि बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अपर्याप्त थी। उसने सुझाव दिया था कि पर्याप्त धन की कमी के कारण विमानों की खरीद में देरी नहीं होनी चाहिए।[14]

वायुसेना ने मिग-29 विमानों के इंजन खरीदने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए हैं।[15] ये इंजन अगले 15 वर्षों तक मिग-29 बेड़े की परिचालन क्षमता को बहाल रखेंगे।[15] कैग (2024) ने कहा है कि विमानों के अपग्रेडेशन में भी पहले विलंब हुआ है। मार्च 2008 में मंत्रालय ने विमान की एक निश्चित श्रेणी के अपग्रेडेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे।[21] 2014 तक इनका अपग्रेडेशन किया जाना था, लेकिन अब इस योजना का लक्ष्य 2022 है।[21]

विचारणीय मुद्दे

भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक, हालांकि रक्षा आधुनिकीकरण में विदेशी स्रोतों की हिस्सेदारी कम

एसआईपीआरआई के आंकड़ों के अनुसार, 2013 और 2023 के बीच भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था, इसके बाद सऊदी अरब, मिस्र और कतर थे। 2013 से 2023 के दौरान आयातित हथियारों की कुल मात्रा का 10% भारत से प्राप्त हुआ था। 2017-18 और 2024-25 (सितंबर 2024 तक) के बीच, रक्षा बलों के लिए 271 पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से छह अनुबंध विदेशी विक्रेताओं के साथ किए गए थे।[22] ये विक्रेता रूस और यूएसए के थे और आयात की प्रमुख वस्तुओं में असॉल्ट राइफलें और मिसाइलें शामिल थीं।[22]

रेखाचित्र 9: 2013-2023 के बीच हथियारों के शीर्ष 10 आयातक (वैश्विक आयात के % के रूप में)

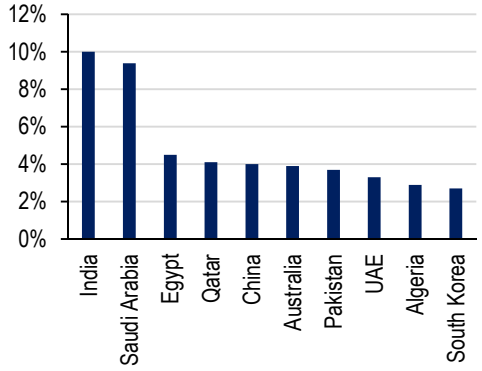

स्रोत: एसआईपीआरआई; पीआरएस।

2014-15 और 2022-23 के बीच रक्षा बलों ने अपने कुल आधुनिकीकरण व्यय का 30% से अधिक विदेशी स्रोतों से खरीद पर खर्च किया। 2023-24 में कुल आधुनिकीकरण व्यय का 28% विदेशी स्रोतों से खरीद पर खर्च किया गया था। रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने मंत्रालय को ऐसे उपाय करने का सुझाव दिया ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों का निर्माण कर सकें।[23] इसमें विभिन्न स्तरों पर घरेलू कंपनियों को रियायतें देना शामिल है ताकि वे घरेलू रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकें और ऐसे उपकरणों के निर्यात में भी सुधार कर सकें।[23] एस्टिमेट्स कमिटी (2018) ने कहा था कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता, विशेष रूप से मिलिट्री हार्डवेयर के लिए, भारत की सुरक्षा को संवेदनशील बनाती है क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आपात स्थितियों के दौरान आपूर्तिकर्ता आवश्यक हथियार या स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध करा पाएं।[24]

रेखाचित्र 10: रक्षा आधुनिकीकरण व्यय में घरेलू और विदेशी स्रोतों का हिस्सा

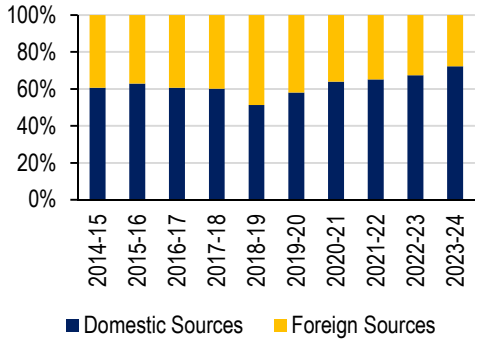

स्रोत: तीसरी रिपोर्ट, रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी, 17 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

रक्षा उपकरणों की खरीद: मंत्रालय के अनुसार, रक्षा उपकरणों की खरीद में 19 से 26 महीने का समय लग सकता है।[22] स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा है कि यह समय सीमा काफी लंबी हो सकती है, चूंकि इसमें रणनीतिक जोखिम शामिल हैं।[22] इससे तकनीक, जो खरीदी जाती है, पुरानी हो सकती है और भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भू-राजनीतिक संबंधों में बदलाव से भी खरीद पर असर पड़ सकता है क्योंकि परंपरागत चैनल और सहयोगियों में बदलाव हो सकते हैं।[22] कमिटी ने सुझाव दिया है कि मंत्रालय को रक्षा खरीद में तेजी लाने के तरीकों की पहचान करनी चाहिए।[22]

रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीएपी), 2020 का उद्देश्य रक्षा उपकरणों के निर्माण में स्वदेशी कंटेंट को बढ़ाना है।[25] डीएपी पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए लागू है। यह खरीद की एक अन्य श्रेणी के रूप में संपत्तियों को लीज़ पर देने का भी प्रावधान करता है जो समय-समय पर किराये के भुगतान के साथ विशाल प्रारंभिक पूंजी परिव्यय का स्थान ले सकता है।[25] नवंबर 2023 में सभी खरीद श्रेणियों में कम से कम 50% स्वदेशी कंटेंट (कंटेंट, कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर के लिए) प्रदान करने के लिए डीएपी में संशोधन किया गया था।[26] मंत्रालय के अनुसार, 2025 में डीएपी को नया रूप दिए जाने की उम्मीद है ताकि इसे रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए अनुरूप बनाया जा सके।[15]

आयात कम करने के लिए मंत्रालय ने पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां भी जारी की हैं।[27] इन सूचियों में 5,012 रक्षा उपकरण शामिल हैं जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से आयात प्रतिबंध के तहत रखा गया है। रक्षा निर्माण विभाग के अनुसार, अब तक पांच सूचियों में अधिसूचित वस्तुओं में से 61% का स्वदेशीकरण किया जा चुका है।[27] जनवरी और नवंबर 2024 के बीच रक्षा अधिग्रहण परिषद और रक्षा खरीद बोर्ड ने 40 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।[15] ये प्रस्ताव चार लाख करोड़ रुपए से अधिक के हैं और इस राशि का लगभग 95% घरेलू स्तर पर खरीदा जाएगा।[15] कुछ वस्तुएं जिन्हें खरीद के लिए मंजूरी दी गई है, उनमें निम्न शामिल हैं: (i) लड़ाकू वाहन, (ii) डोर्नियर-228 विमान, (iii) एंटी-टैंक माइन्स, और (iv) एयर डिफेंस रडार।[15]

रक्षा निर्माण में वृद्धि, हालांकि गुणवत्ता संबंधी मुद्दे मौजूद

2016-17 और 2023-24 के बीच भारत का घरेलू रक्षा निर्माण 8% की वार्षिक दर से बढ़ा है। 2023-24 में घरेलू रक्षा निर्माण 1.27 लाख करोड़ रुपए था। घरेलू रक्षा निर्माण में पीएसयू की हिस्सेदारी 2016-17 से लगातार 80% के आसपास बनी हुई है। मंत्रालय का लक्ष्य 2028-29 तक तीन लाख करोड़ रुपए का स्वदेशी रक्षा निर्माण हासिल करना है।[15,28] इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2023-24 के दौरान घरेलू रक्षा निर्माण में 19% की वार्षिक दर से वृद्धि करनी होगी। 2024-25 में 3 फरवरी 2025 तक रक्षा उत्पादन 55,946 करोड़ रुपए था।

2021 में ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड की निर्माण इकाइयों को सात नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में बदल दिया गया।[29] ये सात सार्वजनिक उपक्रम रक्षा सेवाओं के लिए विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए हैं जैसे: (i) एम्यूनिशन और विस्फोटक, (ii) वाहन, (iii) हथियार और उपकरण, और (iv) पैराशूट। 2021-22 और 2024-25 के बीच मंत्रालय ने इन डीपीएसयू को आधुनिकीकरण के लिए 5,757 करोड़ रुपए और इमरजेंसी ऑथराइजेशन फंड के रूप में 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं।[30] नए डीपीएसयू को वित्तीय सहायता 2026-27 तक प्रदान की जाएगी।[30]

ऑर्डनेंस फैक्ट्री के निर्मित उपकरणों में पहले कई बार समस्याएं देखी गईं। कैग ऑडिट में देखा गया कि 2015-16 और 2019-20 के बीच थलसेना में बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हुईं, जिसका कारण ऑर्डनेंस

फैक्ट्री में बनने वाले कुछ छोटे हथियार थे।[31] इनकी प्रकृति बताती है कि कंपोनेंट्स की खराब गुणवत्ता और इनपुट मैटीरियल को चेतावनियों के अनुरूप प्रयोग न करने की वजह से दुर्घटनाएं हुईं।[31] कैग ने यह भी कहा कि छोटे हथियार कारखाने अधिक ओवरहेड लागत के साथ संचालित होते थे, जिससे उनकी प्रति इकाई उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।[31] 2016-17 और 2018-19 के बीच सशस्त्र बलों को छोटे हथियारों के आयात पर निर्भर रहना पड़ा क्योंकि इन हथियारों से जुड़ी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाईं।

रेखाचित्र 11: भारत का रक्षा निर्माण (करोड़ रुपए)

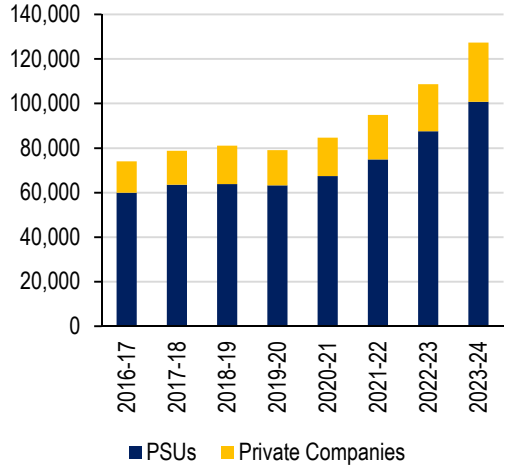

स्रोत: रक्षा निर्माण विभाग; पीआरएस।

रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है लेकिन वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है

2016-17 और 2023-24 के बीच रक्षा निर्यात 46% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। यह मुख्य रूप से निजी कंपनियों द्वारा रक्षा निर्यात में वृद्धि के कारण है (तालिका 5 देखें)। उल्लेखनीय है कि भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि 2016-17 में निम्न आधार के चलते है, जब भारत ने 1,522 करोड़ रुपए की रक्षा वस्तुओं का निर्यात किया था।[32] 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए था।[33] भारत 85 से अधिक देशों को मिसाइल, रडार, बख्तरबंद वाहन और एम्यूनिशंस जैसी वस्तुओं का निर्यात करता है।[32]

तालिका 5: रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका (करोड़ रुपए)

वर्ष	निजी कंपनियों द्वारा निर्यात	कुल निर्यात	निजी कंपनियों का हिस्सा
2016-17	194	1,522	13%
2017-18	3,163	4,682	68%
2018-19	9,813	10,746	91%
2019-20	8,008	9,116	88%
2020-21	7,271	8,435	86%
2021-22	5,965	12,815	47%
2022-23	9,051	15,918	57%
2023-24	13,119	21,083	62%

स्रोत: रक्षा निर्माण विभाग; पीआरएस।

केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए और 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करना है।[34,35] 2024-25 के अंत तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात करने के लिए, 2023-24 के मुकाबले निर्यात में 66% की वृद्धि करनी होगी। जबकि रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है, हथियारों के निर्यात की विश्वव्यापी मात्रा में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। एसआईपीआरआई के अनुसार, 2016 और 2023 के बीच विश्वव्यापी स्तर पर निर्यात किए गए हथियारों में भारत की हिस्सेदारी 0.2% थी। इस अवधि में वैश्विक हथियार निर्यात में यूएसए, रूस और फ्रांस का हिस्सा क्रमशः 39%, 15% और 9% था।[36]

डीपीएसयू द्वारा अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करने की जरूरत पहले भी दर्शाई गई है।[37] इससे उन्हें स्वदेशी उत्पाद विकसित करने में मदद मिलेगी और उनकी निर्यात क्षमता में भी सुधार होगा।[37] डीपीएसयू को निर्यात में काफी अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। डीपीएसयू की मुख्य चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मूल्य प्रतिस्पर्धा, (ii) तेजी से तकनीकी प्रगति, और (iii) भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान।[37]

बजट में अनुसंधान एवं विकास हेतु आवंटन हाल के वर्षों में कम हुआ; कई परियोजनाएं देरी के कारण प्रभावित

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) एयरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, लड़ाकू वाहनों और मिसाइलों जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक और सामरिक

सैन्य उपकरणों का निर्माण करता है।[38] हाल के वर्षों में अनुसंधान और विकास के लिए आवंटन कम हो गया है। 2014-15 में कुल रक्षा बजट का 4.7% अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित किया गया था। 2020-21 में यह अनुपात घटकर 3.2% हो गया और 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार यह बढ़कर 3.8% हो गया है। 2013-14 और 2025-26 के बीच रक्षा संबंधी अनुसंधान और विकास पर खर्च 8% की वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है।

रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि अनुसंधान और विकास एक मजबूत और आधुनिक रक्षा तंत्र है।[39] इसमें रक्षा अनुसंधान और विकास की आउटसोर्सिंग के साथ-साथ डीआरडीओ की इन-हाउस परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराना शामिल है। कमिटी ने डीआरडीओ को चालू और भविष्य की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।[39]

अनुसंधान और विकास कोष में कमी के अलावा, डीआरडीओ द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाएं देरी के कारण प्रभावित हुई हैं। 178 डीआरडीओ परियोजनाओं के विश्लेषण में कैग ने पाया कि 119 परियोजनाओं में मूल समय सीमा का पालन नहीं किया गया है।[38] 49 परियोजनाओं में अतिरिक्त समय परियोजना की मूल समय सीमा से अधिक है। एक या अधिक प्रमुख उद्देश्यों और मापदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद परियोजनाओं को सफल घोषित किया गया है।[38] रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने कहा कि डीआरडीओ परियोजनाओं के पूरा होने में अक्सर देरी होती है। इससे लागत बढ़ जाती है और सशस्त्र बल क्षमताओं से वंचित हो जाते हैं।[38] कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) डीआरडीओ के आंतरिक समीक्षा तंत्र की फिर से समीक्षा करना, और (ii) समीक्षा तंत्र में तकनीकी कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।[39]

रेखाचित्र 12: अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किए गए रक्षा बजट का हिस्सा (% में)

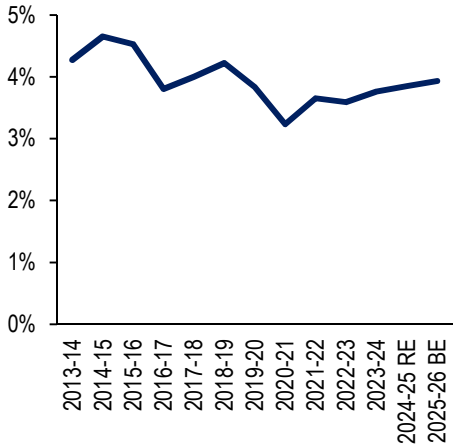

स्रोत: 42वीं रिपोर्ट; रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी, 17वीं लोकसभा; केंद्रीय बजट दस्तावेज़ (विभिन्न वर्ष); पीआरएस।

अनुसंधान को बढ़ावा देने वाले उपाय: डीआरडीओ ने स्वदेशी रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय किए हैं। प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत भारतीय कंपनियों और संस्थानों को रक्षा और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।[40] अब तक इस योजना के तहत 333 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता वाली 78 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।[15] घरेलू अनुसंधान का सहयोग देने के लिए डीआरडीओ द्वारा अन्य पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भारतीय उद्योगों के लिए डीआरडीओ पेटेंट तक मुफ्त पहुंच, (ii) निजी और सार्वजनिक उद्यमों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, और (iii) कुछ चिन्हित क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए शिक्षा जगत को सहयोग।[15]

[1] 37th Report: Demands for Grants (2023-24) Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning, Standing Committee on Defence, Lok Sabha, Mach 21, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/17_Defence_37.pdf?source=loksabhadocs.

[2] 40th Report: Demands for Grants (2018-19) General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Military Engineer Services, Directorate General Defence Estates, Defence Public Sector Undertakings, Welfare of Ex-Servicemen, Defence Pensions, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme, Standing Committee on Defence, Lok Sabha, March 12, 2018, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/16_Defence_40.pdf?source=loksabhadocs.

[3] Trends in World Military Expenditure 2023, SIPRI Fact Sheet, April 2024, https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf.

[4] "Ministry of Defence declares 2025 as 'Year of Reforms'", Press Information Bureau, Ministry of Defence, January 1, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2089184.

[5] "Union Cabinet approves revision of pension of Armed Forces Pensioners/family pensioners under One Rank One Pension w.e.f. July 01, 2019", Press Information Bureau, Ministry of Defence, December 23, 2022, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1886168.

[6] Chapter 11, Defence and Internal Security, Volume-I Main Report, 15th Finance Commission, October 2020, https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html_en_files/fincom15/Reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf.

[7] "In a transformative reform, Cabinet clears 'Agnipath' scheme for recruitment of youth in the armed forces", Press Information Bureau, Ministry of Defence, June 14, 2022, https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1833747.

[8] Speech of Finance Minister, Interim Budget 2004-2005, February 3, 2004, https://www.indiabudget.gov.in/doc/bspeech/bs200405(I).pdf.

[9] 32nd Report: Creation of Non-Lapsable Capital Fund Account, Instead of the Present System, Standing Committee on Defence, Lok Sabha, August 2017, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/16_Defence_32.pdf?source=loksabhadocs.

[10] Unstarred Question No. 1110, Lok Sabha, Ministry of Defence, December 8, 2023, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1714/AU1110.pdf?source=pqals.

[11] 3rd Report, Demands for Grants (2019-20), Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project, December 2019, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/17_Defence_3.pdf?source=loksabhadocs.

[12] 28th Report: Capital Outlay on Defence Services. Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (Demand No. 21), Standing Committee on Defence, Lok Sabha, March 2022, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/17_Defence_28.pdf?source=loksabhadocs.

[13] Strength of Officers in Defence Forces, Unstarred Question No. 1121, Lok Sabha, July 22, 2022, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/179/AU1121.pdf?source=pqals.

[14] 36th Report: Demands for Grants (2023-24), Army, Navy, Air Force, Joint Staff, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme and Sainik Schools, Standing Committee on Defence, Lok Sabha, March 21, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/17_Defence_36.pdf?source=loksabhadocs.

[15] "Year End Review 2024", Press Information Bureau, Ministry of Defence, December 26, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2088180.

[16] C&AG's Audit report on Union Government (Defence Services) Army presented in Parliament, Office of the Comptroller and Auditor General of India, February 3, 2020, https://cag.gov.in/uploads/PressRelease/PR-Press-Brief-Report-no-16-05f19941ebcdbc7-81616480.pdf.

[17] 2nd Report: Demands for Grants (2024-25), Army, Navy, Air Force, Joint Staff and Ex-Servicemen Contributory Health Scheme, Standing Committee on Defence, Lok Sabha, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/18_Defence_2.pdf?source=loksabhadocs.

[18] "Prime Minister Shri Narendra Modi dedicates to the nation frontline naval combatants - INS Surat, INS Nilgiri & INS Vaghsheer - in Mumbai", Press Information Bureau, Ministry of Defence, January 15, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2093018.

[19] 114th Report: Design, Development, Manufacture and Induction of Light Combat Aircraft (LCA), Public Accounts Committee, Lok Sabha, December 14th 2018, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/783969/1/16_Public_Accounts_114.pdf.

[20] "Prime Minister Flies in the Indigenously Designed, Developed and Manufactured Twin Seater Fighter Aircraft LCA Tejas", Press Information Bureau, Ministry of Defence, November 25, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1979812.

[21] Report of the Comptroller and Auditor General of India, Union Government, Defence Services (Air Force) for the year ended March 2021 presented in Parliament, Office of the Comptroller and Auditor General of India, December 17, 2024, https://cag.gov.in/uploads/PressRelease/PR-English-Press-Release-on-Audit-Report-No-16-of-2024-067619586015be4-22082486.pdf.

[22] 3rd Report: Demands for Grants (2024-25), Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning, Standing Committee on Defence, Lok Sabha, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/18_Defence_3.pdf?source=loksabhadocs.

[23] 37th Report: Demands for Grants (2023-24), Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning, Standing Committee on Defence, Lok Sabha, March 21, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/17_Defence_37.pdf?source=loksabhadocs.

[24] 29th Report: Preparedness of Armed Forces- Defence Production and Procurement, Committee on Estimates, July 25, 2018, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Estimates/16_Estimates_29.pdf?source=loksabhadocs.

[25] Defence Acquisition Procedure, 2020, Ministry of Defence, https://www.mod.gov.in/dod/sites/default/files/DAP202013Apr22.pdf.

[26] "Defence Acquisition Council approves capital acquisition proposals worth Rs 2.23 lakh crore to enhance the operational capabilities of the Armed Forces", Press Information Bureau, Ministry of Defence, November 30, 2023, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1981135#:~:text=It%20has%20been%20decided%20that,that%20are%20manufactured%20in%20India.

[27] Status of Positive Indigenisation List of DPSUs, Srijan Dashboard, Ministry of Defence, as accessed on January 18, 2025, https://srijandefence.gov.in/DashboardForPublic.

[28] "Rs three lakh crore annual defence production & Rs 50,000 crore exports expected by 2028-29: Raksha Mantri Shri Rajnath Singh", Press Information Bureau, Ministry of Defence, February 24, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2008632.

[29] "Splitting of OFBs", Press Information Bureau, Ministry of Defence, November 29, 2021, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1776096.

[30] 4th Report: Demands for Grants (2024-25), Directorate of Ordnance (Coordination and Services) – New DPSUs, Defence Research and Development Organisation, Standing Committee on Defence, Lok Sabha, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/18_Defence_4.pdf?source=loksabhadocs.

[31] Performance Audit Report on "Production of Small Arms in Ordnance Factories" Presented in Parliament, Office of the Comptroller and Auditor General of India, March 27, 2023, https://cag.gov.in/uploads/PressRelease/PR-Press-Brief-English-Report-No-5-of-2023-064230a68abcab2-09764714.pdf.

[32] "Aatmanirbharta on the rise: Defence exports reach an all-time high of approx. Rs 16,000 crore in Financial Year 2022-23; Over 10-times increase since 2016-17; India exporting to over 85 countries", Press Information Bureau, Ministry of Defence, April 1, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1912885.

[33] "Defence exports touch record Rs 21,083 crore in FY 2023-24, an increase of 32.5% over last fiscal; Private sector contributes 60%, DPSUs - 40%", Press Information Bureau, Ministry of Defence, April 1, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2016818#:~:text=Defence%20exports%20have%20touched%20a,compared%20to%20FY%202013%2D14.

[34] "Raksha Mantri reviews working of seven defence companies, carved out of OFB, on completion of one year of operations", Press Information Bureau, Ministry of Defence, September 30, 2022, https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1863733.

[35] "India's defence stronger than ever as the Govt is bolstering it with Indianness: Raksha Mantri Shri Rajnath Singh", Press Information Bureau, Ministry of Defence, March 7, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2012132.

[36] Arms Transfers Database, SIPRI, as accessed on February 3, 2025, https://armstransfers.sipri.org/ArmsTransfer/CSVResult.

[37] Defence Public Sector Undertakings and Exports, An Assessment, Journal of Defence Studies, July-September 2024, Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, https://idsa.in/wp-content/uploads/2024/11/05-jds-18-3-2024-S-Samuel-C-Rajiv.pdf.

[38] 38th Report: Demands for Grants (2023-24), Directorate of Ordnance (Coordination and Services) – New DPSUs, Defence Research and Development Organisation and National Cadet Corps, Standing Committee on Defence, Lok Sabha, March 21, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/17_Defence_38.pdf?source=loksabhadocs.

[39] 42nd Report: A Review of the Working of the Defence Research and Development Organisation (DRDO), Standing Committee on Defence, Lok Sabha, December 20, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/17_Defence_42.pdf?source=loksabhadocs.

[40] "Technology Development Fund", Press Information Bureau, Ministry of Defence, December 8, 2023, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1983971.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।